05 जुलाई 2026 को हुई आपातकालीन बैठक का विवरण

RWA सदस्यों की एक आपातकालीन बैठक रविवार, 5 जुलाई 2026 को पार्श्वनाथ पैराडाइज़ सोसाइटी, मोहन नगर, गाज़ियाबाद के मंदिर परिसर में आयोजित की गई।

उपर्युक्त आपातकालीन बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

सोसाइटी पंजीकरण का नवीनीकरण: JP गार्डन एस्टेट RWA का पंजीकरण 21 अगस्त 2026 तक वैध है और इसकी वैधता समाप्त होने से पहले इसे नवीनीकृत (रिन्यू) करने की आवश्यकता है। RWA सदस्यों ने सर्वसम्मति से सोसाइटी पंजीकरण के नवीनीकरण का निर्णय लिया।
उप-नियमों (Bylaws) में संशोधन: 2024 में RWA के पिछले चुनाव में, सदस्यों ने RWA के उप-नियमों में उल्लिखित 'सदस्यता' की परिभाषा, सदस्यता शुल्क, आम सभा की बैठक (General Body Meeting) के लिए कोरम और RWA सदस्यों की आपातकालीन बैठक के संबंध में सवाल उठाए थे। परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए, सदस्यों ने सर्वसम्मति से RWA के मौजूदा उप-नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा।

अध्यक्ष की स्वीकृति से, निम्नलिखित जरूरी मुद्दों पर भी सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

(i) जो निवासी मासिक रखरखाव शुल्क (maintenance charges) का भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसे डिफॉल्टर्स (बकायादारों) के नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

(ii) RWA रखरखाव शुल्क का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर्स को नियमित नोटिस जारी करता है। कई डिफॉल्टर्स ऐसे नोटिस लेने से भी इनकार कर देते हैं। सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव दिया कि ऐसे डिफॉल्टर्स, जो नोटिस लेने से इनकार करते हैं, उनके प्रवेश द्वार (entry gate) पर ऐसे नोटिस चिपका दिए जाएं।

(iii) सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह भी प्रस्ताव दिया कि रखरखाव शुल्क का भुगतान न करने वाले किसी भी डिफॉल्टर को RWA से NOC लिए बिना सोसाइटी में फ्लैट/दुकान बेचने/खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी फ्लैट पर रखरखाव शुल्क बकाया है, तो सोसाइटी के भीतर शिफ्टिंग, सोसाइटी में प्रवेश या सोसाइटी से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।